बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक –........................../ पटना, दिनांक –..............................

03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय – वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त ₹798.00 लाख (सात करोड अनठानवे लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2491, दिनांक–11.07.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त **₹798.00 लाख (सात करोड अनठानवे लाख) मात्र** सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त योजनान्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0–2493, दिनांक–11.07.2016 द्वारा विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में ₹3096.42 लाख (तीस करोड़ छियानवे लाख बेयालीस हजार) मात्र की स्वीकृति के विरूद्ध अबतक ₹1935.40.00 लाख (उन्नीस करोड़ पैतीस लाख चालीस हजार) मात्र का व्यय किया गया है। जिसमें ₹1161.02 लाख (ग्यारह करोड़ एकसठ लाख दो हजार) मात्र शेष बचा हुआ है, जिसमें ₹798.00 लाख (सात करोड अनठानवे लाख) मात्र की संभावित बचत है, को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान/सब्सिडी मद में इकाईयों/लाभुकों को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–DFP/B1-146/2013/951, दिनांक–22.09.2014 द्वारा निर्धारित दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹798.00 लाख (सात करोड अनठानवे लाख) मात्र** से बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य योजना आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेंगे।

5. उक्त राशि का व्यय निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा की जायेगीं।

6. राशि का भुगतान संबंधित लाभुकों/इकाईयों को उनके बैंक खाता में RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

कृ0पृ0उ0–02 पर.....

8. योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होगें।

9. यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि निकासी के लिए विपत्र कोड एवं योजना कोड का उल्लेख अनिवार्य रुप से करेंगे।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.06.2016 के मद सं0–14 में स्वीकृति संचिका सं0– ***03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015*** के पृ0 124/टि0 पर प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की स्वीकृति संचिका सं0–***03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015*** के पृ0 146/टि0 पर, दिनांक–28.03.2017 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–***03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015*** के पृष्ठ–147/टि0 पर दिनांक 29.03.17 को प्राप्त है।

13. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक 2938 वि0(2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –................................/ पटना, दिनांक –..................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –................................/ पटना, दिनांक –..................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –955/ पटना, दिनांक –29.03.17
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि –महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एंव विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive sujeet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------116